No. 37-33/2009-SPB-I
Ministry of Communications
Department of Posts
SPB-I-Section

Dak Bhawan, Sansad Marg,
New Delhi – 110001

Dated 27 August,2017

To

1. All Chief Postmasters General
2. All Postmasters General
3. Director, Rafi Ahmed Kidwai National Postal Academy (RAKNPA), Ghaziabad

Subject:- Department of Posts (Multi Tasking Staff) Recruitment Rules, 2018.

Madam/Sir,

I am directed to forward herewith a copy of Department of Posts (Multi Tasking Staff) Recruitment Rules, 2018 notified in the Gazette of India, Extraordinary, PART II - Section 3 - Sub-section (i) dated 16th August, 2018.

2. It is requested that the above mentioned Recruitment Rules may be brought to the notice of all concerned.

Yours faithfully,

Encl: As above

(G. Rajeev)
Director (SPN)

Copy for information to:-

1. PPS to Secretary (P)
2. All Members of the Postal Services Board/ JS & FA
3. Secretary (PSB)
4. CGM (BD)/ CGM (MB)/ CGM (PLI)
5. All Dy. Directors General/ GMs
6. **GM (CEPT) with a request to upload the RRs on India Post Website www.indiapost.gov.in linked RTI/ Sl. No. 5 Rules, Regulation/ RRs**
7. Pr. Director of Audit (Postal), Delhi 110054.
8. Additional Director General, APS, R.K. Puram, New Delhi
9. Chief Engineer (Civil, HQ)
10. All Directors, Postal Training Centers
11. Ministry of Law and Justice, Legislative Department
12. Lok Sabha Secretariat
13. Rajya Sabha Secretariat
14. All Recognized Unions/ Associations/ Federations
15. SPB-II/ PE-I/ PE-II/ Admin./ PAP/ DE/ GDS/ PCC/ SR/ PA Wing.

(G. Rajeev)
Director (SPN)

Scanned by CamScanner

रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 575] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, अगस्त 16, 2018/श्रावण 25, 1940
No. 575] NEW DELHI, THURSDAY, AUGUST 16, 2018/SHRAVANA 25, 1940

संचार मंत्रालय

(डाक विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 16 अगस्त, 2018

सा.का.नि. 781(अ).—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और डाक विभाग (बहुकार्य कर्मचारिवृंद) भर्ती नियम, 2015, को उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है, या करने का लोप किया गया है, डाक विभाग में बहुकार्य कर्मचारिवृंद के पद पर भर्ती की पद्धति के विनियमन हेतु निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :–

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ**–

(i) इन नियमों का संक्षिप्त नाम डाक विभाग (बहुकार्य कर्मचारिवृंद) भर्ती नियम, 2018 है।

(ii) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. **पदों की संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तरः**– पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण, और वेतन मैट्रिक्स में स्तर वे होंगे जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तम्भ (2) से (4) में विनिर्दिष्ट हैं।

3. **भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हताएं, आदिः**– भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हताएं और उक्त पद से संबंधित अन्य बातें वे होंगी, जो उक्त अनुसूची के स्तम्भ (5) से स्तम्भ (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. **निरर्हताएं.**– **वह व्यक्ति,**–

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से, जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है; या
(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित होते हुए किसी अन्य व्यक्ति से विवाह किया है,

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह, ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं, तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

5. **सेना डाक सेवा में सेवा करने की अपेक्षा.–** उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट पदों पर नियुक्त कोई व्यक्ति अपेक्षानुसार भारत में या भारत से बाहर सेना डाक सेवा में सेवा करने का दायी होगा।

6. **षिथिल** करने **की शक्ति.**– जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

7. **व्यावृत्ति.**– इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षणों और उन रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय–समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, भूतपूर्व–सैनिकों, अन्य पिछड़े वर्गों, और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

भाग–I प्रशासनिक कार्यालयों के पद (सर्कल कार्यालय और क्षेत्रीय कार्यालय)

पद का नाम	पद संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में स्तर	चयन पद या अचयन पद	सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु सीमा	सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं
1	2	3	4	5	6	7
बहुकार्य कर्मचारिवृंद	510* (2018) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ग', अराजपत्रित, अननुसचिवीय	वेतन मैट्रिक्स में स्तर-1	लागू नहीं होता	18 से 25 वर्ष (केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों के अनुसार सरकारी कर्मचारियों के लिए 35 वर्ष तक, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों के लिए 5 वर्ष और अन्य पिछड़े वर्गों के अभ्यर्थियों के लिए 3 वर्ष तक शिथिल की जा सकती है।) **टिप्पण:** 1. आयु–सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी (न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरूणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू–कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति जिले तथा चंबा जिले के पांगी उपखंड, अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है।)। 2. रोजगार कार्यालय के माध्यम से आने वाले अभ्यर्थियों की दशा में आयुसीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख, आमंत्रित किए गए आवेदनों के लिए समाप्त होने वाली तारीख या वह अंतिम तारीख होगी जिस तक रोजगार कार्यालय से नाम भेजने के लिए कहा गया है। 3. ग्रामीण डाक सेवकों और नैमित्तिक मजदूरों की दशा में ऊपरी आयु सीमा नहीं है।	(i) किसी मान्यताप्राप्त बोर्ड से दसवीं कक्षा पास। (ii) संबंधित राज्य अथवा संघ राज्यक्षेत्र की स्थानीय भाषा की जानकारी। उम्मीदवार ने कम से कम दसवीं कक्षा तक स्थानीय भाषा का अध्ययन किया हो। राज्य अथवा संघ राज्यक्षेत्र की स्थानीय भाषा वही होगी जो डाक विभाग द्वारा प्रकाशित की गई है। (iii) नैमित्तिक श्रमिक की सीधी भर्ती के लिए किसी प्रकार की शैक्षिक योग्यता निर्धारित नहीं की गई है।

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु सीमा और शैक्षिक अर्हताएं, प्रोन्नत व्यक्तियों के मामले में लागू होंगीं या नहीं	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो	भर्ती की पद्धति—सीधी भर्ती होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति / आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरे जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता	प्रोन्नति/ प्रतिनियुक्ति अथवा आमेलन द्वारा भर्ती की स्थिति में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति अथवा प्रतिनियुक्ति अथवा आमेलन किया जाएगा।	यदि विभागीय प्रोन्नति समिति मौजूद है, तो इसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा
8	9	10	11	12	13
लागू नहीं होता	दो वर्ष तथा डाक विभाग द्वारा निर्धारित अनिवार्य प्रशिक्षण पूरा किया हो।	(i) ज्येष्ठता—सह—फिटनेस के आधार पर अस्थायी प्रास्थिति प्रदत्त नैमित्तिक श्रमिकों की नियुक्ति द्वारा जिसके न हो सकने पर, (ii) ज्येष्ठता—सह—फिटनेस आधार पर 1 सितम्बर, 1993 तक या उससे पूर्व लगे हुए विद्यमान ऐसे अंशकालिक नैमित्तिक श्रमिकों, जो दिन में आठ घंटे के लिए कार्यरत हैं, की नियुक्ति से जिसके न हो सकने पर, (iii) ज्येष्ठता—सह—फिटनेस के आधार पर 1 सितम्बर, 1993 को या उससे पूर्व लगे हुए अंशकालिक नैमित्तिक श्रमिकों की नियुक्ति से जिसके न हो सकने पर, (iv) सर्कल के सभी डिवीजनों के केवल उन ग्रामीण डाक सेवकों के लिए आयोजित प्रतियोगिता परीक्षा द्वारा जिन्होंने रिक्ति वर्ष की पहली जनवरी को उस क्षमता में तीन वर्ष तक नियमित रूप से कार्य किया हो अथवा भारत सरकार द्वारा समय समय पर जारी दिशानिर्देशों के अनुसार सीधी भर्ती द्वारा, जिसके न हो सकने पर, (v) डाक विभाग द्वारा समय—समय पर परिचालित स्कीम के अनुसार खुली प्रतियोगिता के माध्यम से सीधी भर्ती द्वारा, टिप्पणः 1. ऊपर उल्लिखित परीक्षा, डाक विभाग द्वारा सेना डाक सेवा और खुली प्रतियोगिता से आवेदकों की चयनित सूची बनाने के मानदंडों, परीक्षा के पाठ्यक्रम तथा पैटर्न आदि के संबंध में समय—समय पर जारी अनुदेशों के अधीन शासित होगी। 2.*(ग्रामीण डाक सेवक सिविल पद धारक होते हैं परन्तु वे नियमित सिविल सेवा से बाहर होते हैं, जिसके कारण उनकी नियुक्ति सीधी भर्ती द्वारा ही की जाएगी।)	लागू नहीं होता	विभागीय प्रोन्नति समिति (पुष्टि के संबंध में विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे— (i) सहायक महा डाकपाल या ज्येष्ठ समयमान अधिकारी या कनिष्ठ समयमान अधिकारी— अध्यक्ष; (ii) समूह 'क' या समूह 'ख' (राजपत्रित) डाक/रेल डाक सेवा अधिकारी — सदस्य; (iii) डाक सर्किल या केन्द्रीय सरकार के अन्य विभाग का कार्यालय का समूह 'ख' (राजपत्रित) अधिकारी — सदस्य;	लागू नहीं होता

भाग—II अधीनस्थ कार्यालयों के पद

पद का नाम	पद संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में स्तर	चयन पद अथवा गैर–चयन पद	सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु सीमा	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं
1	2	3	4	5	6	7
बहुकार्य कर्मचारिवृंद	37240*(2018) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ग', अराजपत्रित अननुसचिवीय	वेतन मैट्रिक्स में स्तर–1	लागू नहीं होता	खुली प्रतियोगिता के अभ्यर्थियों के लिए 18 से 25 वर्ष । (भारत सरकार द्वारा जारी अनुदेशों के अनुसार सरकारी कर्मचारियों के लिए 35 वर्ष तक, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों के लिए पांच वर्षों तक की छूट और अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए तीन वर्षों तक शिथिल की जा सकती है)। **टिप्पणः** 1. आयु–सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तिथि होगी (न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरूणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू–कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति जिले तथा चंबा जिले के पांगी उपखंड, अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है।)। 2. रोजगार कार्यालय के माध्यम से आने वाले अभ्यर्थियों की दशा में आयुसीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख वह अंतिम तारीख होगी जिस तक रोजगार कार्यालय से नाम भेजने के लिए कहा गया है। 3. ग्रामीण डाक सेवकों और नैमित्तिक मजदूरों की दशा में ऊपरी आयु सीमा नहीं है।	(i) मान्यताप्राप्त बोर्ड से दसवीं कक्षा पास (ii) संबंधित राज्य अथवा संघ राज्यक्षेत्र की स्थानीय भाषा की जानकारी। उम्मीदवार ने कम से कम दसवीं कक्षा तक स्थानीय भाषा का अध्ययन किया हो। राज्य अथवा संघ राज्यक्षेत्र की स्थानीय भाषा वही होगी जो डाक विभाग द्वारा प्रकाशित की गई है। (iii) नैमित्तिक श्रमिक की सीधी भर्ती के लिए किसी प्रकार की शैक्षिक योग्यता निर्धारित नहीं की गई है!

<u>सीधे भर्ती</u> किए जाने वाले	परिवीक्षा की अवधि,	भर्ती की पद्धति– भर्ती सीधी होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति / आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरे जाने	प्रोन्नति / प्रतिनियुक्ति अथवा आमेलन	यदि विभागीय प्रोन्नति समिति मौजूद है, तो इसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों

व्यक्तियों के लिए विहित आयु सीमा और शैक्षिक अर्हताएं, प्रोन्नत व्यक्तियों के मामले में लागू होंगीं या नहीं	**यदि कोई हो**	**वाली रिक्तियों की प्रतिशतता**	**द्वारा भर्ती की स्थिति में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति अथवा प्रतिनियुक्ति अथवा आमेलन किया जाएगा।**		**में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा**
8	9	10	11	12	13
लागू नहीं होता	दो वर्ष तथा डाक विभाग द्वारा निर्धारित अनिवार्य प्रशिक्षण पूरा किया हो।	(i) भर्ती करने वाले प्रभाग के ग्रामीण डाक सेवकों* में से जिन्होंने रिक्तियों वाले वर्ष की पहली जनवरी को उस क्षमता में पांच वर्ष तक नियमित रूप से कार्य किया हो अथवा भारत सरकार द्वारा समय–समय पर जारी दिशानिर्देशों के अनुसार ज्येष्ठता–सह–फिटनेस आधार पर सीधी भर्ती द्वारा 50%,जिसके न हो सकने पर रिक्तियों को निम्नलिखित (ii) के अनुसार भरी जाने वाली रिक्तियों की संख्या में जोड दिया जाएगा; (ii) (क) भर्ती करने वाले प्रभाग के उन ग्रामीण डाक सेवकों के लिए प्रतियोगी परीक्षा के आधार पर सीधी भर्ती द्वारा, जिन्होंने रिक्ति वर्ष की जनवरी के पहले दिन उस क्षमता में तीन वर्ष तक नियमित रूप से कार्य किया हो अथवा भारत सरकार द्वारा समय समय पर जारी दिशानिर्देशों के अनुसार सीधी भर्ती द्वारा 25%, जिसके न हो सकने पर; (ख) सर्कल के सभी डिवीजनों के केवल उन ग्रामीण डाक सेवकों के लिए आयोजित प्रतियोगिता परीक्षा द्वारा जिन्होंने रिक्ति वर्ष की पहली जनवरी को उस क्षमता में तीन वर्ष तक नियमित रूप से कार्य किया हो अथवा भारत सरकार द्वारा समय समय पर जारी दिशानिर्देशों के अनुसार सीधी भर्ती द्वारा, जिसके न हो सकने पर; (ग) डाक विभाग द्वारा समय–समय पर परिचालित स्कीम के अनुसार खुली प्रतियोगिता के माध्यम से सीधी भर्ती द्वारा, (iii) (क) 25% – अस्थायी प्रास्थिति वाले नैमित्तिक श्रमिकों की ज्येष्ठता–सह–फिटनेस आधार पर नियुक्ति द्वारा, जिसके न हो सकने पर; (ख) 1 सितम्बर, 1993 को या उससे पूर्व भर्ती करने वाले प्रभाग अथवा यूनिट के नियोजित नैमित्तिक श्रमिक जो एक दिन में पूरे आठ घंटे कार्य करते हों, की	लागू नहीं होता	**विभागीय प्रोन्नति समिति (पुष्टि पर विचार करने के लिए)** – (i) सहायक महाडाकपाल अथवा एक वरिष्ठ अथवा कनिष्ठ समयमान अधिकारी – अध्यक्ष; (ii) एक समूह 'क' अथवा समूह 'ख' (राजपत्रित) डाक/रेल डाक सेवा अधिकारी – सदस्य; (iii) डाक सर्कल अथवा किसी अन्य केन्द्रीय सरकार के विभाग अथवा कार्यालय का एक समूह 'ख' (राजपत्रित) अधिकारी – सदस्य;	लागू नहीं होता

		ज्येष्ठता–सह–फिटनेस के आधार पर नियुक्ति द्वारा, जिसके न हो सकने पर; (ग) 1 सितम्बर, 1993 को अथवा उससे पूर्व भर्ती प्रभाग अथवा यूनिट के नियोजित अंशकालिक नैमित्तिक श्रमिकों की ज्येष्ठता–सह–फिटनेस आधार पर नियुक्ति द्वारा, जिसके न हो सकने पर; रिक्तियों की संख्या को उपर्युक्त (ii)के अनुसार भरी जाने वाली रिक्तियों की संख्या में जोड दिया जाएगा। **टिप्पणः** 1. ऊपर उल्लिखित परीक्षा, डाक विभाग द्वारा सेना डाक सेवा और खुली प्रतियोगिता से आवेदकों की चयनित सूची बनाने के मानदंडों, परीक्षा के पाठ्यक्रम तथा पैटर्न आदि के संबंध में समय–समय पर जारी अनुदेशों के अधीन शासित होगी। 2. *(ग्रामीण डाक सेवक सिविल पद धारक होते हैं परन्तु वे नियमित सिविल सेवा से बाहर होते हैं, जिसके कारण उनकी नियुक्ति सीधी भर्ती द्वारा ही की जाएगी।)			

[फा.सं. 37–33/2009–एसपीबी–I]

जी. राजीव, निदेशक (एसपीएन)

MINISTRY OF COMMUNICATIONS

(Department of Posts)

NOTIFICATION

New Delhi, the 16th August, 2018

G.S.R. 781(E).—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in supersession of the Department of Posts (Multi Tasking Staff) Recruitment Rules, 2015, except as respect to things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Multi Tasking Staff in the Department of Posts, namely:-

1. **Short title and commencement.**— (1) These rules may be called the Department of Posts (Multi Tasking Staff) Recruitment Rules, 2018.
   (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Number of posts, classification and Level in the Pay Matrix.**— The number of posts, their classification and the Level in the Pay Matrix attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

3. **Method of recruitment, age limit, qualifications, etc.**—The method of recruitment, age limit, qualifications and other matters relating to the said post shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.

4. **Disqualification.**— No person,-
   (a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or
   (b) who, having spouse living has entered into or contracted a marriage with any person, shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. **Requirement to serve in the Army Postal Service.**— Any person appointed to the posts specified in the said Schedule shall be liable to serve in the Army Postal Service in India or abroad, as required.

6. **Power to relax.**— Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, and for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

7. **Saving.**— Nothing in these rules shall affect reservations and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, ex-servicemen, Other Backward Classes and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

PART – I – Post of Administrative Offices (Circle Office and Regional Office)

Name of post	**Number of posts**	**Classification**	**Level in the Pay Matrix**	**Whether selection post or non-selection post**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Multi Tasking Staff	510*(2018) *Subject to variation dependent on workload	General Central Service, Group ‘C’, Non-Gazetted, Non-Ministerial	Level-1 in the Pay Matrix	Not applicable

Age limit for direct recruits	**Educational and other qualifications required for direct recruits**	**Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotes.**	**Period of probation, if any**
(6)	(7)	(8)	(9)
Between 18 and 25 years, (Relaxable for Government servants upto 35 years, for candidates belonging to the Scheduled Castes and Scheduled Tribes upto five years and for candidates belonging to Other Backward Classes upto three years in accordance with the instructions issued by the Government of India). **Note:** 1. The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of Jammu and Kashmir State, Lahaul and Spiti district and Pangi Sub-division of Chamba district of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Islands or Lakshadweep). 2. In the case of recruitment made through the Employment Exchange, the crucial date for determining the age limit shall be the closing date for inviting applications or last date by which the Employment Exchange is asked to submit the names. 3. There shall be no upper age limit for Gramin Dak Sevak and Casual Labourer.	(i) 10th standard pass from a recognized Board. (ii) Knowledge of local language of the concerned State or Union territory. The candidate should have studied local language at least upto 10th standard. The local language of a State or Union territory shall be as published by the Department of Posts. (iii) No educational qualification is prescribed for direct recruitment of Casual	Not applicable	Two years and successful completion of the mandatory training prescribed by the Department of Posts.

	Labourer.		

Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/ absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods.	**In case of recruitment by promotion/deputation or absorption, grades from which promotion/ deputation or absorption to be made.**	**If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition**	**Circumstances in which Union Public Service Commission to be consulted in making recruitment.**
(10)	(11)	(12)	(13)
(i) By appointment of Casual Labourers conferred with temporary status on the basis of seniority-cum-fitness, failing which; (ii) By appointment of Casual Labourers engaged on or before the 1st September, 1993 working for eight hours in a day, on the basis of seniority-cum-fitness, failing which; (iii) By appointment of part-time Casual Labourers, engaged on or before the 1st September, 1993, on the basis of seniority-cum-fitness failing which; (iv) By direct recruitment on the basis of Competitive Examination restricted to the Gramin Dak Sevaks* of all Divisions of the Circle, who have worked regularly for three years in that capacity, as on the 1st day of January of the year to which the vacancy(ies) belong to or as per the guidelines issued by the Government of India from time to time, failing which; (v) By direct recruitment from open market as per the scheme circulated by the Department of Posts from time to time. **Note:** 1. The afore-mentioned examinations shall be governed by the instructions issued by the Department of Posts regarding the short listing criteria, syllabus and pattern of the test, etc., from time to time. 2. *(Gramin Dak Sevaks are holders of civil posts but they are outside the regular civil service due to which their appointment shall be treated as direct recruitment.)	Not applicable	**Departmental Promotion Committee (for considering confirmation) consisting of –** (i) Assistant Postmaster General or a Senior or Junior Time Scale Officer– Chairperson (ii) One Group 'A' or Group 'B' (Gazetted) Postal or Railway Mail Service Officer – Member. (iii) A Group 'B' (Gazetted) Officer of the Postal Circle or any other Central Government Department or Office– Member.	Not applicable

PART II – Posts of Subordinate Office

Name of post	**Number of posts**	**Classification**	**Level in the Pay Matrix**	**Whether selection post or non-selection post**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)

Multi Tasking Staff	37240*(2018) *Subject to variation dependant on workload	General Central Service, Group 'C', Non-Gazetted, Non- Ministerial	Level-1 in the Pay Matrix	Not applicable

Age limit for direct recruits	**Educational and other qualifications required for direct recruits**
(6)	(7)
Between 18 and 25 years for candidates from open market. (Relaxable for Government servants upto 35 years, for candidates belonging to Scheduled Castes and Scheduled Tribes upto five years and for candidates belonging to Other Backward Classes upto three years in accordance with the instructions issued by Government of India.) **Note:** 1. The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of Jammu and Kashmir State, Lahaul and Spiti district and Pangi Sub-division of Chamba district of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Islands or Lakshadweep). 2. In the case of recruitment made through the Employment Exchange, the crucial date for determining the age limit shall be the closing date for inviting applications or last date by which the Employment Exchange is asked to submit the names. 3. There shall be no upper age limit for Gramin Dak Sevak and Casual Labourer.	(i) 10th standard pass from a recognized Board. (ii) Knowledge of local language of the concerned State or Union territory. The candidate should have studied local language at least upto 10th standard. The local language of a State or Union territory shall be as published by Department of Posts. (iii) No educational qualification is prescribed for direct recruitment of Casual Labourer.

Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotes.	**Period of probation, if any**	**Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/ absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods.**
(8)	(9)	(10)
Not applicable	Two years and successful completion of the mandatory training prescribed by the Department of Posts.	(i) 50% by direct recruitment on the basis of seniority-cum-fitness, from amongst Gramin Dak Sevaks* of the recruiting Division, who have worked regularly for five years in that capacity, as on 1st day of January of the year to which the vacancy(ies) belong to or as per the guidelines issued by the Government of India from time to time, failing which, the unfilled vacancies shall be added to the number of vacancies to be filled as per (ii) below; (ii) (a) 25% by direct recruitment on the basis of Competitive Examination restricted to the Gramin Dak Sevaks of the recruiting Division, who have worked regularly for three years in that capacity, as on 1st day of January of the year to which the vacancy(ies) belong to or as per the guidelines issued by Government of India from time to time, failing which;

		(b) By direct recruitment on the basis of Competitive Examination restricted to the Gramin Dak Sevaks of all other Divisions of the Circle, who have worked regularly for three years in that capacity as on 1st day of January of the year to which the vacancy(ies) belong to or as per the guidelines issued by Government of India from time to time, failing which; (c) By direct recruitment from open market as per the scheme circulated by the Department of Posts from time to time; (iii) (a) 25% by appointment of Casual Labourers of the recruiting Division or Unit, conferred with temporary status on the basis of seniority-cum-fitness, failing which; (b) By appointment of Casual Labourers of the recruiting Division or Unit, engaged on or before the 1st September 1993,working for eight full hours in a day, on the basis of seniority-cum-fitness, failing which by; (c) By appointment of part-time Casual Labourers engaged on or before the 1st September 1993, of the recruiting Division or Unit on the basis of selection-cum-seniority, failing which, the unfilled vacancies shall be added to the number of vacancies to be filled as per (ii) above; **Note:** 1. The afore-mentioned examination shall be governed by the instructions issued by the Department of Posts regarding the short listing criteria, syllabus and pattern of the test, etc., from time to time. 2. *(Gramin Dak Sevaks are holders of civil posts but they are outside the regular civil service due to which their appointment shall be treated as direct recruitment.)

In case of recruitment by promotion or deputation or absorption, grades from which promotion or deputation or absorption to	**If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition**	**Circumstances in which Union Public Service Commission to be consulted in making recruitment.**

be made.		
(11)	(12)	(13)
Not applicable	**Departmental Promotion Committee (for considering confirmation) consisting of :-** (i) Assistant Postmaster General or a Senior or Junior Time Scale Officer– Chairperson. (ii) One group 'A' or Group 'B' (Gazetted) Postal or Railway Mail Service Officer –Member. (iii) One group 'B' (Gazetted) Officer of the Postal Circle or any other Central Government Department or Office– Member.	Not applicable

[F.No. 37-33/2009-SPB-I]

G. RAJEEV, Director (SPN)

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

ALOK KUMAR
Digitally signed by ALOK KUMAR
Date: 2018.08.21 19:35:28 +05'30'

रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-31082023-248438
CG-DL-E-31082023-248438

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 499] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, अगस्त 31, 2023/भाद्र 9, 1945
No. 499] NEW DELHI, THURSDAY, AUGUST 31, 2023/BHADRA 9, 1945

संचार मंत्रालय

(डाक विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 30 अगस्त, 2023

सा.का.नि. 639(अ).—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए डाक विभाग (बहुकार्य कर्मचारिवृंद) भर्ती नियम, 2018 में संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात :-

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम डाक विभाग (बहुकार्य कर्मचारिवृंद) भर्ती (संशोधन) नियम, 2023 है।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. डाक विभाग (बहुकार्य कर्मचारिवृंद) भर्ती नियम, 2018 की अनुसूची में :-

(क) भाग – I और उससे सम्बंधित प्रविष्टियां हटा दी जाएंगी;

(ख) भाग – II में, -

(i) शीर्षक, अर्थात "भाग - II अधीनस्थ कार्यालयों के पद" को हटा दिया जाएगा;

(ii) स्तंभ (7) के अधीन, मद संख्या (ii) और उससे सम्बंधित प्रविस्टियां हटा दिए जाएंगे;

(iii) स्तंभ (10) के अधीन, -

(क) मद संख्या (i), (ii) और (iii) और उससे सम्बंधित प्रविस्टियों के स्थान पर निम्नलिखित मदें प्रतिस्थापित की जाएगी, अथार्त: -

"(i) (क) 100 प्रतिशत ज्येष्ठता के आधार पर, भर्ती करने वाले प्रभाग या इकाई के अस्थायी प्रास्थिति प्रदत्त नैमित्तिक श्रमिकों में से, जिसके न हो सकने पर;

(ख) ज्येष्ठता के आधार पर, भर्ती करने वाले प्रभाग या इकाई के 1 सितम्बर, 1993 को या उससे पूर्व भर्ती नैमित्तिक श्रमिक, जो दिन में आठ घंटे के लिए कार्यरत हैं, की नियुक्ति से, जिसके न हो सकने पर;

(ग) ज्येष्ठता के आधार पर, भर्ती करने वाला प्रभाग या इकाई के 1 सितम्बर, 1993 को या उससे पूर्व भर्ती अंशकालिक नैमित्तिक श्रमिकों से, जिसके न हो सकने पर;

(घ) ज्येष्ठता के आधार पर, सर्कल के सभी अन्य प्रभागों या इकाइयों के अस्थायी प्रास्थिति प्रदत्त नैमित्तिक श्रमिकों की नियुक्ति द्वारा, जिसके न हो सकने पर;

(ड.) ज्येष्ठता के आधार पर, 1 सितम्बर, 1993 को या उससे पूर्व लगे हुए सर्कल के सभी अन्य प्रभागों या इकाइयों के नैमित्तिक श्रमिक, जो दिन में आठ घंटे के लिए कार्यरत हैं, की नियुक्ति के द्वारा, जिसके न हो सकने पर;

(च) ज्येष्ठता के आधार पर 1 सितम्बर, 1993 को या उससे पूर्व लगे हुए सर्कल के सभी अन्य प्रभागों या इकाइयों के अंशकालिक नैमित्तिक श्रमिकों की नियुक्ति द्वारा, जिसके न हो सकने पर भरी न गई रिक्तियों को निम्नलिखित बिन्दु (ii) के अनुसार भरा जाएगा;

(ii) (क) 50 प्रतिशत ज्येष्ठता के आधार पर, भर्ती करने वाले प्रभाग या इकाई के इच्छुक ग्रामीण डाक सेवकों में से, जिन्होंने रिक्ति वर्ष की पहली जनवरी को या भारत सरकार द्वारा समय-समय पर जारी मार्गदर्शक सिद्धांतों के अनुसार, उस क्षमता में पांच वर्ष तक नियमित रूप से कार्य किया हो, जिसके न हो सकने पर भरी न गई रिक्तियों को निम्नलिखित (ii) (ख) के अनुसार भरी जाने वाली रिक्तियों की संख्या में जोड़ दिया जाएगा;

(ख) 50 प्रतिशत भर्ती करने वाले डाक सर्कल के केवल उन ग्रामीण डाक सेवकों के लिए आयोजित प्रतियोगी परीक्षा के आधार पर, जिन्होंने रिक्ति वर्ष की पहली जनवरी को या भारत सरकार द्वारा समय समय पर जारी मार्गदर्शक सिद्धांतों के अनुसार, उस क्षमता में तीन वर्ष तक नियमित रूप से कार्य किया हो, जिसके न हो सकने पर भरी न गई रिक्तियों को निम्नलिखित (iii) के अनुसार भरा जाएगा;

(iii) डाक विभाग द्वारा समय-समय पर परिचालित स्कीम के अनुसार खुली प्रतियोगिता के माध्यम से, सीधी भर्ती द्वारा;";

(ख) टिप्पण के अंत में निम्नलिखित अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात :-

"3. डाक विभाग, प्रशासनिक अनुदेशों के माध्यम से एक या अधिक डाक सर्कलों के उन ग्रामीण डाक सेवकों को दिल्ली डाक सर्कल में नियुक्ति के लिए अनुमति दे सकता है, जो अन्यथा, इन नियमों के उपबंधों के अनुसार पात्र हैं और ऐसी नियुक्ति, डाक विभाग द्वारा समय-समय पर यथा निर्धारित नियमों और शर्तों के अध्यधीन होगी।";

(iv) स्तंभ (12) के अधीन, विद्यमान प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात :-

"समूह 'ग' विभागीय पुष्टि समिति (पुष्टि के संबंध में विचार करने के लिए) निम्नलिखित से मिलकर बनेगी: -

(1.) सहायक महा डाकपाल या ज्येष्ठ डाकघर अधीक्षक या रेल मेल सेवा के ज्येष्ठ अधीक्षक या सहायक निदेशक या डाकघर अधीक्षक या रेल मेल सेवा के अधीक्षक – अध्यक्ष;

(2.) दो समूह 'ख' (राजपत्रित) अधिकारी – सदस्य।"।

[फा. सं. 37-33/2009-एसपीएन-I]

जगदीप गुप्ता, उप महानिदेशक

टिप्पण : मूल नियम भारत के राजपत्र असाधारण, भाग-II, खण्ड 3, उप-खण्ड (i) में 16 अगस्त, 2018 में सा.का.नि. 781(अ) द्वारा प्रकाशित किए गए थे और तत्पश्चात 15 नवम्बर, 2019 में सा.का.नि. 850(अ) द्वारा संशोधित किए गए थे।

MINISTRY OF COMMUNICATIONS

(Department of Posts)

NOTIFICATION

New Delhi, the 30th August, 2023

G.S.R. 639(E).—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules further to amend the Department of Posts (Multi Tasking Staff) Recruitment Rules, 2018, namely:-

1. (1) These rules may be called the Department of Posts (Multi Tasking Staff) Recruitment (Amendment) Rules, 2023.

   (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Department of Posts (Multi Tasking Staff) Recruitment Rules, 2018, in the Schedule,–

   (a) PART-I and the entries relating thereto shall be omitted;

   (b) In PART II,-

   (i) the Heading, namely, "PART II - Posts of Subordinate Office" shall be omitted;

   (ii) under column (7), item number (ii) and the entries relating thereto shall be omitted;

   (iii) under column (10), –

   (A) for item numbers (i), (ii) and (iii) and the entries relating thereto, the following items shall be substituted, namely:-

   "(i) (a) 100 per cent by appointment of casual labourers of the recruiting Division or Unit, conferred with temporary status, on the basis of seniority-cum-fitness, failing which;

   (b) by appointment of casual labourers of the recruiting Division or Unit, engaged on or before 1st September, 1993, working for eight hours in a day, on the basis of seniority-cum-fitness, failing which;

   (c) by appointment of part-time casual labourers of the recruiting Division or Unit, engaged on or before 1st September, 1993, on the basis of seniority-cum-fitness, failing which;

   (d) by appointment of casual labourers of all the other Divisions or Units of the Circle, conferred with temporary status, on the basis of seniority-cum-fitness, failing which;

   (e) by appointment of casual labourers of all the other Divisions or Units of the Circle, engaged on or before 1st September, 1993, working for eight hours in a day, on the basis of seniority-cum-fitness, failing which;

(f) by appointment of part-time casual labourers of all the other Divisions or Units of the Circle, engaged on or before 1st September, 1993, on the basis of seniority-cum-fitness, failing which, unfilled vacancies shall be filled as per (ii) below;

(ii) (a) 50 per cent on the basis of seniority-cum-fitness from amongst willing Gramin Dak Sevaks of the recruiting Division or Unit, who have worked regularly for five years in that capacity, as on 1st day of January of the year to which the vacancy belong to or as per the guidelines issued by the Central Government from time to time, failing which, unfilled vacancies shall be added to the number of vacancies to be filled as per (ii)(b) below;

(b) 50 per cent on the basis of competitive examination restricted to Gramin Dak Sevaks of the recruiting Postal Circle, who have worked regularly for three years in that capacity, as on 1st day of January of the year to which the vacancy belong to or as per the guidelines issued by the Central Government from time to time, failing which, unfilled vacancies shall be filled as per (iii) below;

(iii) by direct recruitment from open market as per the scheme circulated by the Department of Posts from time to time;";

(B) in the Note, after item number 2 and the entries relating thereto, the following item shall be inserted, namely:-

"3. Department of Posts, through administrative instructions, may allow Gramin Dak Sevaks of one or more Postal Circles, who are otherwise eligible as per the provisions of these rules, for appointment in Delhi Postal Circle and such appointment shall be subject to such terms and conditions as may be decided by the Department of Posts from time to time.";

(iv) under column (12), for the existing entries, the following entries shall be substituted, namely:-

"Group 'C' Departmental Confirmation Committee (for considering confirmation) consisting of:-

(1.) Assistant Postmaster General or Senior Superintendent of Post Offices or Senior Superintendent of Railway Mail Service or Assistant Director or Superintendent of Post Offices or Superintendent of Railway Mail Service – Chairman;

(2.) Two Group 'B' (Gazetted) Officers – Member.".

[F. No. 37-33/2009-SPN-I]

JAGDEEP GUPTA, Dy. Director General

Note : The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section 3, Sub-section (i), *vide* G.S.R. 781(E), dated the 16th August, 2018 and subsequently amended *vide* G.S.R. 850(E), dated the 15th November, 2019.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.